

(b) whether any specific rules have been laid down regarding the eligibility for admission to these courses; and

(c) the total number of students who applied for admission to these courses in 1966?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) So far only Delhi University has introduced correspondence courses for B.A. (Pass) degree. The total number of students enrolled by the university for the correspondence courses in 1966 was 3,309.

(b) the admission are open to students from all over India and to the officers of the Indian Foreign Service and their dependants. A student must have completed 18 years of age before the first October in the year of admission. The minimum qualification for admission to the first year of the B.A. (Pass) course shall be as follows:

(i) For admission to the B.A. (Pass) Course of three year's duration.—A candidate must have passed the Intermediate Examination from an Education Board of a State/or University or an Examination recognised as equivalent thereto.

(ii) For admission to the B.A. (Pass) Course of 4-year's duration.—A candidate must have passed the Higher Secondary Examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi, or an Examination recognised and equivalent thereto or the Intermediate Examination, duly recognised by this University.

(c) 4769 persons applied for admission to the correspondence courses of the University of Delhi in 1966.

धर्मपुरा (दिल्ली) में मकान गिरने की घटना

3897. श्री रामावतार शर्मा :  
श्री हनुमन्त कन्ध कछुवाच :  
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :  
श्री अर्जुन सिंह भवीरिया :  
श्री राम गोपाल शास्त्रवाले :  
डा० सुर्य प्रकाश पुटी :  
श्री प्रकाशचौर शास्त्री :

श्री गृह-कार्य मन्त्री 7 जून, 1967 के मतारोकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धर्मपुरा में 15 अगस्त, 1966 को एक मकान गिरने के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग के प्रतिवेदन की, जो 31 मई, 1967 को दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत किया गया था, एक प्रति सभ-कक्ष पर रखी जायेगी :

(ख) इस प्रतिवेदन पर, जो दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन बताया जाता था, अब तक क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) कमीशन द्वारा दी गई सिफारिशों पर दिल्ली नगर निगम के मत की प्रतीक्षा की जा रही है

दिल्ली का प्रयोग

3899. श्री राम चरण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय तथा उसके अधीनस्थ क्या सम्बन्ध